

22  
19/10/2022  
02  
72

नमस्कार आदेश दिनांक - 19-10-2022- डिनर T-202115090700341 947-807  
लेखा संख्या - कार्यवाही प्रमाण जसो गरी आदी सिलो सिरा 2020 का मन्त्र  
गठितोका र मापका इपिगसिफाते (मापिक) वे लपारदि विसाका 19-10-2022



मा. मोदीजी सेवा म. लि. काठमाडौं



**आदेश पत्रक**

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील मुरा) न्यायिक  
मण्डल : आजमगढ़, जनपद : बलिया, तहसील : बलिया रोड  
बाद संख्या :- 00341/2021

कंप्यूटीकृत बाद संख्या :- T2021150090700341


भारतीय निर्मांरियल जनकण्ठ बनान गवि सभा

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

**निर्णय**

प्रस्तुत बाद भारतीय निर्मांरियल जनकण्ठान ट्रस्ट कर्त्तव्य ने दाखिल कर निवेदन किया है कि सम्बन्धित आराजी नजार्ई को इन जरिये बेनामा साक्षिभाव सक्षमगीय बुधियार है, तथा वहीर विद्यालय/अनुप कवियर दाखिल कले जा रहे है, उक्त आराजी ने नवन का निर्माण ती डी चुका है, तथा कुछ भाग पर बाउन्डी का निर्माण डी चुका है, उक्त आराजी नजार्ई में धवन है, हेमड धवन तथा बीमालय बाउन्डी होने के कारण अनुप है। अन्त में बाधन डी गयी है कि उक्त गवा संख्या के बाधन रिपोर्ट तत्व कर अनुप घोषित करने की कुर को जात।

नियमानुसार बाद गजीकृत कर तहसीलदार बेल्थरासोड से दिनांक-11.02.2021 को रिपोर्ट तत्व किया गया। तहसीलदार बेल्थरासोड ने राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट तत्व किया। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक-22.10.2021 को रिपोर्ट दिया है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट जल होने के बाद तहसीलदार बेल्थरासोड ने दिनांक-01.07.2022 को अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि बीजा-कर्त्तव्य परगना-शिवहरपुर गयी के कुल 15 गवा सम्पूर्ण रवाक-1,20,000 पर बुधि कार्य का वसत सम्न्धिता कार्य न होने के बावन तहसीलदार-2006 की धारा 80 में तहत अनुपिक घोषित किये जाने हेतु स्वाधीय कोटी राफ व नवल काली संभन कर आराम करतुगी सक्ति प्रेषित है। तहसीलदार बेल्थरासोड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कर्त्तव्यक बेल्थरासोड ने मूल्यांकन आख्या तत्व की गयी जो प्राप्त होकर संभन पत्रवली है। कर्त्तव्यक बेल्थरासोड के मूल्यांकन रिपोर्ट के क्रम में बाटी द्वारा 1,10,0000 (एक लीख इस हजार छ-सी लख रुपया) का ट्रेजरी बावन न 1,10,70000 (एक लीख त्रस हजार सत ती लख) भारतीय कोटी जीस स्टाम्प प्रस्तुत किया है जो संभन पत्रवली है। दिनांक-21.02.2022 की शासकीय अधिवला न चक्रवर्ती अधिकारी बेल्थरासोड से रिपोर्ट तत्व किया गमे जो प्राप्त होकर संभन पत्रवली है। दिनांक-29.07.2022 को चक्रवर्ती अधिकारी बेल्थरासोड ने अपने रिपोर्ट में अंकित किया है कि सम्न्धित आराजियात का सम्पूर्ण डेरफल सक्त पर नवन न परती की लप में है। फलतस्व उक्त डेरफल डी अनुपक किये जाने से चक्रवर्ती अधिकारी पर अतिकूल प्रभाव पडने की कोई आराका नही है। दिनांक-16.08.2022 को कर्त्तव्यक अधिकारी चक्रवर्ती अधिया ने अख्या तत्व किया गया जो प्राप्त होकर संभन पत्रवली है। पत्रवली में कर्त्तव्यक अधिकारी चक्रवर्ती ने अपनी रिपोर्ट दिनांक-16.08.2022 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि सम्न्धित गवा का सम्पूर्ण अंकफल सक्त पर नवन न परती के लप में है, फलतस्व अनुपिक किये जाने में चक्रवर्ती अधिकारी पर कोई अतिकूल प्रभाव नही पडेगा। जिले शासकीय अधिवला की अधिका राफ द्वारा दिनांक-08.08.2022 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय निर्मांरियल जनकण्ठान ट्रस्ट कर्त्तव्य के अंतर्गत अनुपिक घोषित किये जाने वाले आराजियात न विद्यालय पर नवन निर्मित है और नही विद्यालय का संभलन किये जा रहे है। सम्पूर्ण प्रतिनिधियों से 000070090-2006 की धारा-80 के सम्पूर्ण प्राधिकारो एव तिवय 80 के प्राधिकारो के अनुपालन काली दूर मेरे नवन डी अनुपक किये जाने में कोई विधिक अंतलन नही है।



*(Handwritten signature)*

**दृष्ट संख्या :**



**आदेश पत्रक**

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील कतर), न्यायिक मण्डल : आजमगढ़, जनपद : बलिया, तहसील : बेल्थरा रोड**  
बाद संख्या : -00341/2021.

**कंप्यूटरीकृत बाद संख्या : -T202115090700341**  
**भारती मिनीरियल जनपद का बिल नाम गौव सभा**

**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

(2)

पुंजी पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार बेल्थरा रोड की रिपोर्ट दिनांक-01.07.2022 एवं बन्दोबस्त अधिकारी चक्रवर्ती बलिया की रिपोर्ट दिनांक-18.08.2022 का अन्वेषण किया गया। रिपोर्ट पर प्रस्तुत रिपोर्ट के विषय कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत है। राजस्वदाता तहसीलदार बेल्थरा रोड की रिपोर्ट दिनांक-01.07.2022 व बन्दोबस्त अधिकारी चक्रवर्ती बलिया की रिपोर्ट दिनांक-18.08.2022 स्वीकार करते हुए जपदकानून-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अधुनिक घोषित किये जाने योग्य है।

**अदेश**

बन्दोबस्त विवेकाना पर तहसीलदार बेल्थरा रोड की रिपोर्ट दिनांक-01.07.2022 व बन्दोबस्त अधिकारी चक्रवर्ती बलिया की रिपोर्ट दिनांक-18.08.2022 स्वीकार करते हुए जपदकानून-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत नीला-करीबंदर परसगा-विश्वन्दरपुर वही में स्थित जपद-403मि रकबा-0.134800, जपद-403मि रकबा-0.130800, जपद-404मि रकबा-0.024800, जपद-414 रकबा-0.077800, जपद-415 रकबा-0.024800, जपद-403मि रकबा-0.158800, जपद-404 रकबा-0.053800, जपद-404 रकबा-0.024800, जपद-415 रकबा-0.024800, जपद-415 रकबा-0.238800, जपद-403मि रकबा-0.571800, जपद-404मि रकबा-0.024800, जपद-404मि रकबा-0.020800, जपद-414 रकबा-0.024800 व जपद-415 रकबा-0.020800 कुल 15 गांव रकबा-1.703800 को भारती मिनीरियल जनपदकानून इस्ट काठ व पोस्ट-करीबंदर के नाम दर्ज है, जो अधुनिक भूमि घोषित करते हुए नू-राजस्व से अधुनिक किया जाता है। तदनुसार परसगा अज्ञात वरामद जारी हो। बाद अज्ञात वरामद पत्रावली दाखिल दफार हो।



*(Signature)*  
उप जिलाधिकारी (न्यायिक)  
बेल्थरा रोड।  
19/10/2022

न्यायिक  
19/10/2022  
20/10/2022  
26/10/2022  
जपद-  
जपद-

समाप्त प्रतिलिपि  
महाराज

पृष्ठ संख्या :